तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील 12/2022 हेमाराम वगै बनाम रूगाराम वगै	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.06.2022	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि उक्त अपील दिनांक 28.03.2022 की पेशी तारीख को बहस हेतु नियत थी तथा अपीलांट स्वयं हाजा न्यायालय में उपस्थित थे। किन्तु उक्त अपील में अधिवक्ता अपीलांट हाजीर नहीं हो पाये जबकि अपीलांट अधिवक्ता के मुंशीजी एवं अपीलांट स्वयं हाजिर थे उस समय तक उतरदाता अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे। उक्त अपील में अधिवक्ता अपीलांट की आवाज होने पर अधिवक्ता अपीलांट न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया था, जिस कारण अपील को अदम हाजरी में खारिज कर दी गई। न्यायहित में उक्त अपील में अधिवक्ता की चुक की सजा अपीलांट को दी जानी सही नहीं है क्योंकि इससे अपीलांट न्याय पाने से वंचित हो जाएगा। उक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए उक्त अपील को इसी स्तर पर पुनः ग्रहण कर उसका गुणावगुण पर न्यायिक निस्तारण करने के आदेश कर सकें। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपील की अंतिम सुनवाई के समय न तो अदालत हाजा में वकील अपीलांट उपस्थित थे, न ही उनका मुंशी हाजिर था और न ही स्वयं अपीलांट ही उपस्थित था, वकील अपीलांट द्वारा मुंशी व स्वयं अपीलांट के उपस्थित बता कर अदालत हाजा की आदेशिका पर जानबुझकर आक्षेप लगाये गये है तथा जानबुझकर अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय को गलत बताया जा रहा है तथा स्वयं की गलती को छुपाने का प्रयास किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 07.04.2016 को अपील पेश कर तारीख 05.05.2016 को ईकतरफा स्थगन आदेश अदालत हाजा को गुमराह कर लिया था, उसके बाद जानबुझकर अपील को लम्बा करने की नीयत से करीब 06 वर्षों तक प्रकरा को लम्बा किया गया और बार बार अदालत हाजा द्वारा बुलवाने पर भी बहस हेतु उपस्थित नहीं होने से अपील को खारिज किया गया जो विधि सम्मत आदेश पारित किया गया। हस्तगत आवेदन में रेस्पोडेंट की तलबी नहीं करवाई गई तथा आवेदन की नकल वकील पुरूषोतम सोनी को दी गई। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। अतः आवेदन खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपील अपीलांट अधिवक्ता की अनुपस्थिति अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। हस्तगत आवदेन अपील को पुनः बरामद करने हेतु अन्दर मियाद पेश किया गया। अपील का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायाहित में अपीलांट को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजमी है। लिहाजा अपीलांट का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नंबर पर दर्ज	

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश राऐ इजलाश सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर